



J. D. A.

LOCATION PLAN
AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN



संस्था विद्यालय योजना 2011 को अंगुणा नु अनुसंधान अनुसार की स्थिति दिखी :-

- 1. पूर्ण / अधिकांश स्थिति अनुसंधान - B 14
- 2. बाक़ी स्थिति अनुसंधान - C.W 14
- 3. बाक़ी अनुसंधान - V 16

कुल अनुसंधान - 44

| AREA ANALYSIS AS PROPOSED :- | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------|
| वर्ग | कु अनुसंधान | क्षेत्रफल | प्रतिशत |
| 1. RESIDENTIAL | 7788.11 | SQ.YDS | 49.47% |
| 2. INSTITUTIONAL | 1543.84 | SQ.YDS | 9.81% |
| 3. ROAD | 6237.25 | SQ.YDS | 39.62% |
| 4. FACILITY | 174.09 | SQ.YDS | 0.70% |
| 5. TOTAL AREA AS BOUNDARY | 15744.29 | SQ.YDS | 100% |
| 6. OWNERS LAND (K.NO.-312) | 602.51 | SQ.YDS | |

योजना की सभी चीजें, सर्वोपरि एवं सार्वजनिक योजना 2011 की अनुसंधान-अनुसंधान एवं योजना अनुसार की स्थिति एवं अन्य बातें योजना अनुसार की स्थिति में दिखी हैं।

संस्था/संस्था के नाम
संस्था/संस्था के नाम

संस्था/संस्था / अन्य बातें सभी की स्थिति अनुसार
की अनुसंधान में योजना अनुसार की स्थिति एवं अन्य बातें

NAME OF SOCIETY :- HATHROI GADI G.N.S. SMT. L.T.D JAIPUR

NAME OF SCHEME :- KISHAN VIHAR

ZONE NO.10 SECTOR NO. 34

SCALE 1" = 50' DRG. NO.

A.T.P. ZONE D.T.P.(PREP) S.T.P.(PREP)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

1. यह अनुसंधान योजना अनुसंधान की आवश्यकता हेतु तैयार किया गया है।
 2. योजना की स्थिति को संशोधन में 50 की सभी आवश्यकता की नु पूर्ण रूप से अनुसंधान में दिखित हो चुकी है।
- जोन-10
2. योजना की स्थिति को संशोधन में दिखित हो चुकी है।
- संस्था/संस्था के नाम
3. संस्था की स्थिति को संशोधन में दिखित हो चुकी है।
- संस्था/संस्था के नाम
4. संस्था की स्थिति को संशोधन में दिखित हो चुकी है।
- संस्था/संस्था के नाम

- दीपदी पुरानी की 112 की बैठक दिनांक 07.11.2007 का निर्णय:-
1. सेक्टर 34 में अधिकतम अनुसंधान सेक्टर सेक्टर का समायोजन योजना अनुसार में कर्तव्य रूप में दिखित मुहानों का संशोधन कर दिया जाये।
 2. संस्था/संस्था के अनुसार दिखित मुहानों का ही विवरण दिया जाये। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं।
 3. योजना की सभी आवश्यकताओं को 50 फीट दिया जाये।
 4. दिखित मुहानों को 50 फीट के परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं।
 5. 132 की सी. एच.टी. लाइन के दोनों ओर नियमानुसार 60 फीट मुहानों का विवरण नहीं दिया जाये।
 6. संस्था/संस्था को 6. 7. 36 व 37 में भीड़ के परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं।
 7. संस्था/संस्था की मुहानों (खतरा नु 312) को योजना का भाग नहीं माना जाये।
 8. दिखित मुहानों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों से दूर रखना ही सही-सही है।
 9. योजना अनुसार में भवन निर्माण 2000 अनुसार सेक्टर में करे जाये।
 10. योजना में संशोधित अधिकतम भू-क्षेत्रफल के साथ में फुल से परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं। अन्य दिखित मुहानों को खतरा नहीं दिखाने के परामर्श दिए गए हैं।

